बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

आ दे श

आ०संख्या-8/आर1-303/84का० 541 /पटना-15, दिनांक 11 जनवरी, 91.

विषय :- सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जाने वाली उपाधियों यथा-प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार को क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश संख्या-184 दिनांक 7 जनवरी, 1987 द्वारा हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण, साहित्यालंकार को क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष मान्यता का विस्तार 31-12-1987 तक किया गया था। अब राज्य सरकार द्वारा भलीभांति विचारोपरान्त हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपरोक्त उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण तथा साहित्यालंकार को मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष निम्नांकित शर्त्तों के अधीन स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	संस्था का नाम	परीक्षा का नाम -समकक्ष परीक्षा-	अभियुक्ति
1	2	3	4
1.	हिन्दी विद्यापीठ देवघर	(क) प्रवेशिका सेकेन्ड्री स्कूल परीक्षा-या मैट्रिकुलेशन (ख) साहित्यभूषण-बी०ए०भाग-1 या आई०ए०के समकक्ष (ग) साहित्यलंकार-बी०ए० के समकक्ष	बशर्त्ते कि (1) उम्मीदवारों ने अंग्रेजी को अपना एक विषय बनाया हो अथवा (2) विद्यापीठ से उसी स्तर की केवल अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा (3) वे किसी परिनियत भारतीय विश्वविद्यालय या बोर्ड से समान स्तर की केवल अंग्रेजी की परीक्षा अथवा अंग्रेजी वार्तालाप, रचना तथा संक्षेपण (प्रेसीस राईटिंग) में उस स्तर की योग्यता प्रदायी जाँच में उत्तीर्ण हो जिस स्तर को आशय बिहार के

---2

परिनियत विश्वविद्यालय को या बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड को अनुसारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों से की जाती है ।

अशोक कुमार चौधरी 10/1/91

(अशोक कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-8/आर1-303/84का0 501 पटना, दिनांक 11 जनवरी 91.

प्रतिलिपि-सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली एवं संबंध संस्थाओं के निबंधक को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित ।

अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव । 11/1/91